eISSN 2581-8996

[Date]

THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)

A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL

Vol. 3, Issue 02, July 2020

भारतीय लोकतंत्र का दुर्बल पक्षः नारी पराधीनता के वर्तमान पदचिन्ह

1राकेश कुमार निषाद
2डॉ. कौशलेंद्र कुमार सिंह

1शोधार्थी, राजनीति विज्ञान डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या उत्तर प्रदेश
2एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, ज0 ला0 ने0 स0 पी. जी. कॉलेज, बाराबंकी, उ0 प्र0

Received: 13 June 2020, Accepted: 27 June 2020, Published on line: 30 Sep 2020

Abstract

प्रस्तुत शोध पत्र 'भारतीय लोकतंत्र का दुर्बल पक्षः नारी पराधीनता के वर्तमान पद–चिन्ह' समसामयिक सामाजिक समस्या पर आधारित है) जिसमें भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था और समाज में लैंगिक भेदभाव और नारी अधीनता के वर्तमान पद चिन्हों की पहचान की गई है। यह शोध पत्र इस बात का भी वर्णन करता है कि अमुक समस्या भारतीय लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है।

भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के बावजूद भी सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाई है। समाज परंपरागत नियमों से संचालित है, जो पुरुष प्रधानता पर आधारित है। राजनीतिक रूप से नारी को समान अधिकार मिल जाने के बावजूद भी राजनीतिक और सामाजिक रूप से इनके सशक्तिकरण होने में कई बाधाएं हैं, जिन्हें नारी पराधीनता के वर्तमान पद चिन्ह कहा जा सकता है।

वर्तमान में नारी पराधीनता की पद चिन्ह को समाप्त कर भारत में लैंगिक और सामाजिक भेदभाव मुक्त सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करनी होगी। बिना सामाजिक लोकतंत्र के राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा है, क्योंकि लोकतंत्र केवल राजनीतिक प्रणाली ही नहीं बल्कि जीवन पद्धति भी है।

आधी आबादी के सुदृढ़ प्रतिभागिता के अभाव में लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता) इसलिए इस समस्या पर ध्यान केंद्रित कर इसका निराकरण जरूरी है जिसे इस शोध पत्र के निष्कर्ष में दिखाया गया है।

संकेतशब्द– भारतीय लोकतंत्र, नारी पराधीनता, नारी चेतना, लैंगिक भेदभाव, परंपरागत नियम, सामाजिक लोकतंत्र, पुरुष प्रधानता।

eISSN 2581-8996

[Date]

THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)

A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL

Vol. 3, Issue 02, July 2020

भूमिका

नारी पराधीनता से आशय उस परिस्थिति से हैं जहां एक नारी निजी और सार्वजनिक निर्णय अपनी स्वतंत्र इच्छा से नहीं ले सकती। उसके निर्णयों पर किसी भी पुरुष की अंतिम स्वीकृति जरूरी होती है। नारी पुरुष प्रधान समाज के परम्परागत, नैतिक और कानूनी नियमों का अनुगमन करने के लिए बाध्य होती है। लैंगिक आधार पर जनसंख्या के विभाजन से महिलाओं का एक वर्ग सामने आता है, जो अपने इतिहास में सबसे अधिक हर स्तर पर भेदभाव का शिकार रहा है। मार्क्स और एंजल्स ने महिला वर्ग को उस श्रेणी में रखा जिनके साथ सबसे पहले उत्पीड़न हुआ। उन्होंने कहा कि इतिहास में स्त्रियां प्रथम शोषित वर्ग हैं, जहां से शोषण की कहानी शुरू हुई।१ राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत के व्याख्याता हेनरीमेन ने अपनी पुस्तक 'एंशिएंट लॉ : इट्स कनैक्शन विद द एर्ली हिस्ट्री ऑफ सोसायटी एंड इट्स रिलेशन टू मॉरल आइडियल्स', वाल्टर बेजहॉट ने अपनी पुस्तक 'फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स' और मैकाइवर ने अपनी पुस्तक 'द मॉडर्न स्टेट' ने राज्य की उत्पत्ति काल से ही पितृ सत्ता आधारित समाज और राज्य के संगठन की बात का उल्लेख किया है।२ आधुनिक नारिवादियों ने भी स्त्रियों की दुर्दशा का चित्रण किया है। नारीवादियों के मान्यता अनुसार समाज में शक्ति का विस्तृत प्रयोग लिंग के आधार पर किया जाता है। लिंग के परिप्रेक्ष्य में सत्ता का प्रयोग पितृतंत्र कहलाता है, जो कि नारियों पर पुरुष प्रधान समाज को मान्यता प्रदान करता है।

प्रसिद्ध नारीवादी चिंतक हैरियट मर्टिंग्यू ने कहा है कि "यदि सभ्यता की सही–सही परख करनी हो तो समाज के उस आधे हिस्से की हालत पर विचार करना चाहिए जिस पर दूसरा आधा हिस्सा अदम्य शक्ति का प्रयोग करता है"३ मेरी वाल्टन क्राफ्ट अपनी पुस्तक 'विंडिवेशन ऑफ द राईट ऑफ वूमेन, जे. एस. मिल ने अपनी पुस्तक 'सब्जेक्सन ऑफ वूमेन, बिट्टी फ्रीडन ने अपनी पुस्तक 'द फेमिनिन मिस्टिक', केट मिलेट ने अपनी पुस्तक 'सेक्सुअल पॉलिटिक्स' इत्यादि नारीवादी चिंतकों ने स्त्रियों के उत्पीड़न और इनके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों की बात की है।४ रेड स्टॉकिंग्स घोषणा,1969 स्त्रियों को एक उत्पीड़ित वर्ग मानती है।५ अतीत में स्त्रियों को स्त्रीत्व के कारण अन्याय सहन करना पड़ा है, जिसके कारण पिछड़े और शोषित वर्ग के उत्थान की प्राथमिकताओं के अनुरूप ही समाज और राजनीतिक व्यवस्था में महिला वर्ग को भी प्रमुख भूमिका निभाने और प्रमुख स्थान बनाने की मांग दिनों–दिन बढ़ती जा जा रही है। वर्तमान समय में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए महिलाओं से संबंधित संगठन अस्तित्व में आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयास से यूएन वूमेन नामक संस्था की स्थापना जुलाई 2010 में हो चुकी है।

वर्तमान समय में लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों में नारी अधिकारों से संबंधित आंदोलन का विस्तार हुआ है। भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है यहां भी नारी अधिकारों से संबंधित आंदोलन का विस्तार

eISSN 2581-8996

[Date]

THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)

A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL

Vol. 3, Issue 02, July 2020

हुआ है। सावित्रीबाई फुले प्रारंभिक भारतीय नारीवादियों में से एक हैं, जो भारत में लड़कियों के लिए प्रथम स्कूल स्थापित किया। सावित्री बाई फुले के साथ फातिमा शेख ने भारत में महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ताराबाई शिंदे जिन्होंने "पुरुष–स्त्री तुलना" आधुनिक भारतीय नारीवादी का पहला लेख लिखा। पंडिता रमाबाई ब्रिटिश भारत में महिलाओं की मुक्ति के लिए अग्रणी बनीं। सरला देवी चौधरानी ने "भारत महिला महामंडल" की स्थापना की। सरोज नलिनी दत्त जिन्होंने बंगाल में शैक्षिक महिला संस्थान का गठन किया। दुर्गाबाई देशमुख महिलाओं की मुक्ति कार्यकर्ता और आंध्र महिला सभा की संस्थापक थीं। जशोधारा बागची जादवपुर विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ वूमेन स्टडीज की स्थापना किया। रीता बनर्जी एक नारीवादी लेखिका हैं, जिन्होंने "द 50 मिलियन मिसिंग कैंपेन" एक ऑनलाइन, वैश्विक लॉबी, जो भारत में महिला जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही है। पद्म गोले एक कवि हैं, जिनके लेखन में भारतीय मध्यवर्गीय महिलाओं के घरेलू जीवन को दर्शाया गया है। बृंदा करात माकपा पोलिट ब्यूरो की पहली महिला सदस्य और अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ (एआईडीडब्ल्यूए) की पूर्व में अध्यक्ष रह चुकी हैं।

वीना मजूमदार भारत में सेंटर फ़ॉर वुमेन डेवलपमेंट स्टडीज़ (सीडब्ल्यूसी) की संस्थापक निदेशक हैं। मेधा पाटकर नारीवादी सामाजिक कार्यकर्ता जो स्वतंत्रता के पश्चात महिला अधिकारों की वकालत करती हैं। अमृता प्रीतम साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला। वंदना शिवा पर्यावरणविद् और इकोफेमिनिस्ट आंदोलन के प्रमुख प्रवक्ता हैं। रूथ वनिता एक लेखक जो समलैंगिक अध्ययन किया और पत्रिका मानुषी की स्थापना की। शर्मिला रेगे समाजशास्त्री, दलित नारीवादी, शिक्षाविद और क्रांतिकारी विचारक है जो सावित्रीबाई फुले महिला अध्ययन केंद्र, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, में महिला अध्ययन की शिक्षिका हैं। राजेश्वरी सुंदर राजन समकालीन नारीवादी जिन्होने रियल एंड इमेजिनेटेड वुमनः जेंडर, कल्चर और पोस्टकोलोनियलिज्म की रचना किया। गीता सेन शैक्षणिक विद्वान और जनसंख्या नीति में विशेषज्ञता रखती हैं। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में काम किया और डी– ए– डब्लयू– एन– एक नए युग के लिए महिलाओं के साथ विकास विकल्प) की जनरल समन्वयक हैं।६

उपरोक्त विदेशी नारीवादी विद्वानों और समाज सुधारकों के प्रयास से भारत में नारी अधिकार संबंधी आंदोलन को गति मिली है। नारी के प्रति अत्याचार, शोषण और भेदभाव को समाप्त करने में इन सभी का बड़ा योगदान रहा है ।

परिकल्पना

प्रस्तुत शोध यह परिकल्पना करता है कि भारत में सुदृढ राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के बावजूद भारतीय समाज के रूढ़िवादी ढांचे अंतर्गत महिलाएं पराधीन हैं। संविधान में महिलाओं को पुरुषों के

eISSN 2581-8996

[Date]

THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)

A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL

Vol. 3, Issue 02, July 2020

बराबर ही कानूनी राजनीतिक आर्थिक और मूल अधिकार प्राप्त होने के बावजूद भी महिलाएं सामाजिक रूप से लैंगिक भेदभाव की शिकार है और वर्तमान समय में महिला पराधीनता के कुछ पदचिन्ह भारतीय समाज में विद्यमान हैं।

शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध पत्र सामाजिक विज्ञान और मानविकी विषयों से संबंध रखता है। शोध पत्र में अनुभव मूलक विश्लेषणात्मक और वर्णनात्मक अनुसंधान विधि का प्रयोग किया गया है।

शोध पत्र में अनुभव मूलक विश्लेषणात्मक और वर्णनात्मक विधि का प्रयोग किया गया है। इसे क्रमागत ढंग से विषय सूची के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। आशा है कि यह शोध पत्र विद्यार्थियों, शोध छात्रों और अकादमिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए लाभकारी होगा।

शोध पत्र में तथ्यों और विश्वस्त ज्ञान को विभिन्न संदर्भित साहित्य के विद्वानों के विचारों, पुस्तकों,लेख पत्रों) समाचार पत्रों और प्रमाणित आधिकारिक सूचना वेबसाइट जैसे प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों से पुष्टिकृत करने का प्रयास किया गया है।

शोध का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य वर्तमान भारतीय समाज में नारी पराधीनता के पद चिन्हों की पहचान करके उनके निराकरण के उपाय खोजना है। लैंगिक असमानता जो कि भारतीय लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी चुनौती है इसको समाप्त करके सुदृढ़ राजनीतिक लोकतंत्र के साथ सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना इस शोध पत्रिका मुख्य उद्देश्य है।

शोध प्रदत्त का एकत्रीकरण और विश्लेषण

आंकड़ों का एकत्रीकरण विभिन्न प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों से बड़ी निष्पक्षता और शुद्धता के साथ किया गया है। आंकड़े का सत्यापन संदर्भित साहित्य अध्ययन के द्वारा पुष्टि कृत किया गया है। आंकड़ों का विश्लेषण वस्तुपरक, निष्पक्ष तर्कसंगत, न्यायसंगत और वैज्ञानिक तरीके से किया गया है।

भारत 15 अगस्त 1947 को राजनीतिक रूप से स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य बना। भारतीय संविधान के अनुसार भारत स्वतंत्र, संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। सभी स्त्री पुरुष नागरिकों को समान मौलिक अधिकार और इकहरी नागरिकता प्रदान की गई है। कार्यपालिका) व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के शक्तियों एवं अधिकारों के मध्य संतुलन स्थापित किया गया है। परिस्थितियों के अनुसार भारतीय राजव्यवस्था एकात्मक और संघात्मक विशेषताओं को धारण करती है। संसदीय गरिमा के साथ न्यायिक पुनरावलोकन को भी स्थापित किया गया। संवैधानिक संशोधन के माध्यम से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को महत्व प्रदान किया गया है।

eISSN 2581-8996

[Date]

THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)

A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL

Vol. 3, Issue 02, July 2020

गौर करने वाली बात यह है कि भारत में राजनीतिक लोकतंत्र का ढांचा मजबूत है लेकिन सामाजिक ढांचा परंपरागत नैतिकता से संचालित है। भारत में आजादी के 75 वर्ष बाद भी सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना अभी नहीं हो सकी है। भारत में नारी को पुरुष के बराबर राजनीतिक, कानूनी और मौलिक अधिकार प्राप्त हैं इसके बावजूद भी सामाजिक ढांचे में लैंगिक विषमता विद्यमान है और इस विषमता के साथ नारी पराधीनता के पद चिन्ह दृष्टिगोचर हो रहे हैं) जिसे भारतीय लोकतंत्र का दुर्बल पक्ष ही कहा जा सकता है।

भारत अपने प्रारंभिक तौर से मात्र उपासनात्मक के साथ ही साथ पितृसत्तात्मक सामाजिक ढांचे वाला देश रहा है । प्राचीन भारतीय वैदिक समाज में कुछ विदुषी नारियों का नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है, जिन्होंने ज्ञान के क्षेत्र में पुरुषों के बराबर मेधा का परिचय दिया। शचि, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विष्पल्ला) गार्गी के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ”यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता“ कहकर एक जगह मनु ने नारियों को पूजनीय बताया तो एक दूसरी जगह पर ”न नारी स्वातंत्र्यमर्हति“ लिखकर नारी को पराधीन बनाकर पुरुष प्रधान समाज का पोषण किया।७

प्राचीन से लेकर आज तक समाज पुरुष प्रधान समाज के रूप में स्थापित है। प्राचीन भारत में नारी समानता की बात अपवाद स्वरूप ही कहीं–कहीं उदाहरण में आती है। अपवाद स्वरूप उदाहरणों से यह सिद्ध नहीं हो जाता कि नारियों की स्थिति प्राचीन वैदिक काल में पुरुषों के बराबर थी। भारत में सल्तनत काल और मुगल काल में नारियों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में पुनर्जागरण काल प्रारंभ हुआ था जिसमें पुनर्जागरण काल के प्रतिनिधि विचारक राजा राममोहन राय, आचार्य दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि ने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महिलाओं ने आजादी की लड़ाई में पुरुषों के समान ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। थियोसोफिकल सोसायटी, रामास्वामी पेरियार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आदि के प्रयास भी सराहनीय है

स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संविधान में प्रत्येक स्त्री–पुरुष को समान दर्जे का नागरिक बनाया गया। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी स्त्री पुरुष को समान रूप से अधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद 14, 15 समानता और अनुच्छेद 19 और 21 स्वतंत्रता और प्राण एवं दैहिक रक्षा के मामले में स्त्री पुरुष को समान दर्जा प्राप्त है। संविधान में अन्य तरीके से भेदभाव मिटाने के साथ ही लिंग आधारित भेदभाव की भी मनाही की गई है। 73वें और 74 वें संविधान संशोधन क्रमशः 1993 और 1994 के माध्यम से पंचायतों एवं नगर निकायों में महिलाओं 33þ भागीदारी सुनिश्चित किया गया है८ परंतु दुर्भाग्य से संसद में 33 प्रतिशत आरक्षण हेतु लाया गया ‘महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा से पारित होने के बाद लोकसभा में सालों से लंबित पड़ा है।

eISSN 2581-8996

[Date]

THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)

A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL

Vol. 3, Issue 02, July 2020

समान पारिश्रमिक अधिनियम' 1976, भारतीय दंड संगीता की विभिन्न धाराएं जैसे 294 में महिला को अश्लील गाली देने, 304 बी दहेज उत्पीड़न 313, महिला के इच्छा के विरुद्ध गर्भपात 315, शिशु जन्म को रोकना 354, बलपूर्वक किसी महिला का लज्जा शीलता भंग करने का प्रयास, 363 और 364 महिला का अपहरण करना, 366 किसी महिला से बलपूर्वक विवाह करने की कोशिश करना, 373 महिला के साथ दास जैसा व्यवहार करना और महिला को वेश्यावृत्ति में धकेलना आदि कानून की दंड संबंधित धाराएं जो महिलाओं के विरूद्ध उत्पीड़न को रोकती हैं। इसके साथ ही भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के अंतर्गत 31 जनवरी 1992 में गठित एक सांविधिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई है। वर्तमान समय में भी भारतीय संसद द्वारा विभिन्न कानून पास करके महिलाओं की स्थिति को सुधारने का प्रयत्न किया जा रहा है।९

वर्तमान समय में भारत महिलाओं की स्थिति के मामले में चिंताजनक दौर से गुजर रहा है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक' लैंगिक समानता को मापने के लिए बनाया गया सूचकांक है, जो विश्व आर्थिक मंच द्वारा वर्ष 2006 से प्रत्येक वर्ष जारी किया जा रहा है।१० इस सूचकांक का नवीनतम संस्करण दिसंबर, 2019 में प्रकाशित किया गया। भारत इस सूचकांक के अनुसार 156 देशों में से 112 स्थान रखता था परन्तु 2021 के ताजे आंकड़ों में 140 स्थान के साथ भारत की स्थिति चिंताजनक है, जबकि बांग्लादेश 65वें, नेपाल 106वें, भूटान 130वें और श्रीलंका 116वें स्थान पर भारत से बेहतर स्थिति में हैं।

भारत में भी स्त्रियां परम्परागत रूप से प्रताड़ना का शिकार रहीं हैं। भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के बाद भी सामाजिक लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया है। भारतीय समाज अभी भी रूढ़िवादी सामाजिक ढांचे के अंतर्गत काम करता है। जाति, धर्म, विवाह, मृत्यु संस्कार, जन्म संस्कार एवं पूजा पद्धति आदि में परंपराओं का कितना महत्व है इसे हम सभी जानते हैं। भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के बाद महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी भी पूर्व की अपेक्षा बढ़ गई है। नारियां पुरुषों के समान ही कंधे से कंधा मिलाकर समान हैसियत के साथ राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। नारियों में राजनीतिक जागरूकता के साथ सामाजिक जागरूकता भी देखने को मिलती हैं। आज स्त्रियों की पराधीनता की बेड़ियां कट रही है और स्त्रियों की स्थिति में सुधार हो रहा है, लेकिन यह सुधार अभी पर्याप्त नहीं है। वर्तमान समय में भारतीय समाज में लैंगिक असमानता ओर नारी पराधीनता के वर्तमान पद चिन्ह दिखाई देते हैं, जो स्त्रियों की पराधीनता और लैंगिक असमानता के सूचक है जिनको भारतीय लोकतंत्र को सफल और मजबूत बनाने हेतु समाप्त किया जाना आवश्यक है।

1.जन्म और शिक्षा के स्तर स्त्रियों की पराधीनता

बच्चियों के जन्म पर खुशियां कम मनाई जाती है, बेटा पैदा होने की अधिक खुशी और चाहत होती, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि बिटिया पराया धन होती है, उसको एक दिन दूसरे के घर जाना होता है। जबकि बेटे को घर का मालिक बन कर घर और परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करना होता है। यही मान्यता लड़की की पढ़ाई–लिखाई पर घर–परिवार वालों के द्वारा सहयोग करने की तत्परता में कमी लाता है। लड़की को साधारण शिक्षा और लड़कों को उत्तम प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा प्रदान किए जाने की प्रवृत्ति अभिभावकों के अंदर अधिक पाई जाती है। जिन परिवारों में गरीबी होती है वहां लड़कों की शिक्षा–दीक्षा पर अधिक जोर दिया जाता है।११ लड़कों को उत्तम और व्यावसायिक शिक्षा देकर के उनको भविष्य के लिए से तैयार किया जाता है ताकि आर्थिक रूप से घर–परिवार की देखभाल कर सकें, जबकि लड़की को साधारण शिक्षा देकर उनकी शादी करके माता पिता अपने सर का बोझ हल्का करना चाहते हैं।

2. विवाह और दांपत्य जीवन में स्त्रियों की पराधीनता

भारत में लड़के अथवा लड़कियों के विवाह का उत्तरदायित्व उनके माता–पिता का होता है। संतान को अपना विवाह स्वयं करना कम संस्कारपूर्ण माना जाता है इसलिए विवाह में पूरी तरह से अभिभावकों की मर्जी चलती है। संतानों को बहुत सीमित मात्रा में वर अथवा वधू चुनने की स्वतंत्रता दी जाती है। परिवार और इसमें बड़े बुजुर्ग की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है।१२ यहां तक संतानों को स्वयं अपनी इच्छा से प्रेम संबंधों में बंद करके विवाह करने की स्वतंत्रता को पसंद नहीं किया जाता है। यहां पर लड़कियों और लड़कों पर एक समान नैतिक मानदंड की परंपरा लागू होती है, लेकिन फिर भी ऑनर किलिंग मामले में लड़कियों के प्रति ज्यादा घटनाएं घटी हैं। ऑनर किलिंग के 91 फीसदी मामलों में हत्या की शिकार लड़कियां होती हैं और 9 मामले लड़कों से संबंधित होते हैं।१३

वैवाहिक परम्परा में वर पक्ष को बड़ा और वधू पक्ष को छोटा माना जाता है। विवाह संस्कार में जितने भी कर्मकांड हैं वहां वर पक्ष को बड़ा बताते हैं। चूंकि पति का शाब्दिक अर्थ स्वामी होता है और यह अपने आप में प्रेम या मित्रता का नहीं अपितु प्रभुत्व का सूचक है इसीलिए स्त्रियां विवाह के उपरांत अपने पति को स्वामी भी कहती हैं। स्त्रियां विवाह जैसे परम्परागत समझौते में अपना जीवन साथी नहीं बल्कि अपना स्वामी प्राप्त करती हैं। स्त्रियों को विवाह से पहले अथवा विवाह के उपरांत जो भी संस्कार सिखाए जाते हैं और परिवार के द्वारा जो भी शिक्षाएं दी जाती हैं, वे सभी पुरुष प्रधान समाज की मान्यता को सामाजिक वैधता प्रदान करती हैं। पत्नी द्वारा पति को परमात्मा माना जाता है,जो कि सर्वप्रथम पूजनीय है। पत्नी अपने पति की सेवा से जीते जी स्वर्ग और मृत्यु उपरांत मोक्ष को प्राप्त करती है ऐसी सामाजिक परम्परागत मान्यता है, जबकि पुरुषों के द्वारा पत्नी की सेवा करने के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। पति के द्वारा पत्नी को दाब कर रखने में ही पुरुषत्व समझा जाता है। चारों पुरुषार्थ पुरुष वरीयता को ही सूचित करते हैं।१४

eISSN 2581-8996

[Date]

THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)

A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL

Vol. 3, Issue 02, July 2020

पति और पत्नी के संबंध में कोई लैंगिक समानता नहीं है। पति या स्वामी जो कि प्रभुत्व का सूचक है के परिप्रेक्ष्य में पत्नी को दासी का दर्जा ही प्राप्त होगा। वैवाहिक संबंधों में पति या स्वामी के स्थान पर जीवन साथी या मित्र जैसे समानता और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाले भावार्थ शब्दावली विकसित करने के महत्व के प्रति जागरूकता लानी चाहिए। प्रेम और विवाह के मामले में अभिभावकों को अपनी संतानों का केवल सहयोग करना चाहिए ना कि हस्तक्षेप। बाध्यकारी आदेश की बजाय उत्तम सलाह देनी चाहिए। झूठी शान के लिए अपने ही बच्चों की बलि चढ़ा देना उचित नही है। ऑनर किलिंग समाज पर एक धब्बा है।

3. स्त्रियों के संरक्षण उपायों में पराधीनता

स्त्रियों के संरक्षण के नाम पर उनकी पराधीनता को सामाजिक वैधता प्रदान किया जाना ठीक नहीं है। अपने मायके में पिता और भाई के संरक्षण में रहती हैं और विवाह के उपरांत पति के संरक्षण में और इसके आगे भी आजीवन किसी ना किसी के संरक्षण में रहती हैं। स्त्रियां एक धन के समान नहीं है जिन पर किसी न किसी पुरुष की सत्ता अथवा स्वामित्व बनाए रखना उचित हो। परंपरागत मान्यता में सुधार की जरूरत है, जिसके अंतर्गत स्त्रियों की तुलना धन से की जाती है। एक परंपरागत कहावत के अनुसार स्त्री भोजन और धन हमेशा छुपा कर रखना चाहिए।१५ भोजन और धन की बात तो समझ में आती है लेकिन स्त्रियों पर ऐसे परंपरागत नियम लागू करने से उनकी स्वतंत्रता बाधित होगी और पर्दा प्रथा को बढ़ावा मिलेगा जो कि नारी पराधीनता का एक प्रमुख कारण है।

4. श्रृंगार और प्रेम में स्त्री पराधीनता

महिलाओं ने गुलामी के प्रतीकों को श्रृंगार के रूप में अपनाया। कुछ प्रकार के श्रृंगार महिलाओं में उनकी गुलामी के प्रतीक दिखाई देते हैं। एक पराधीन कैदी जंजीरों में जहां–जहां से बंधा होता है, महिलाओं में वहीं–वहीं से श्रृंगार के गहनों के प्रतीक दृष्टिगोचर होते हैं। हाथ में कड़ा कैदियों में हथकड़ी का रूपक है। कमर में करधन कैदियों के कमर में लोहे के छल्ले के प्रतीक हो सकते हैं, पैरों में गोड़ाहरा कैदियों के पैरों में बेड़ियों के प्रतीक हो सकते हैं, और गले में हंसली कैदियों के गले में लोहे के छल्ले के प्रतीक हो सकते हैं। इस तरह अगर गुलामी को स्वर्णिम श्रृंगार का रूप दे दिया जाए तो गुलामी बहुत दिनों तक टिकी रहती है। हरबर्ट मार्क्युजे ने अपनी किताब 'वन डाइमेंशनल मैन' में लिखा है कि मनुष्य सोने के पिंजरे में बंद पंछी की तरह सोने की पिंजरे से इतना मंत्रमुग्ध हो गया है कि वह मुक्त आकाश में उड़ान भरने के सच्चे आनंद को भूल गया।१६ स्त्रियों ने भी पराधीनता की बेड़ियों को श्रृंगार के गहने बनाकर कुछ ऐसा ही उदाहरण प्रस्तुत किया। प्रेम और विवाह के बारे में जो भी धारणाएं हैं वह पुरुष सत्ता को मजबूत करती हैं। स्त्री हो या पुरुष एक बात में समान नैतिक मानदंड लागू होते हैं कि वे किसी व्यक्ति को अपने मन से प्रेम और विवाह करने के लिए स्वतंत्र नहीं बल्कि बाध्य हैं। यह बाध्यता स्वयं उनके परिवार से ही आती है। एक युवती उसी

व्यक्ति को प्रेम कर सकती है जिससे उसका विवाह हुआ हो और विवाह उसी से कर सकती है जिसको उसके अपने परिवार या परिवार के मुख्य सदस्यों ने स्वीकार किया हो। यहां प्रेम और विवाह की धारणा भी सुनियोजित और पूर्व नियोजित होती है, यह मुक्त प्रेम की धारणा नहीं बल्कि रूढ़िगत धारणा है। प्रेम और विवाह की संभावना ऊंच–नीच, जाति, कुजाति, प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित, धनी निर्धन जैसे सामाजिक संदर्भों से जुड़ सी गई है। इसलिए परिवार का मुखिया लड़के अथवा लड़की की शादी में इन बातों का विशेष ध्यान देता है। इस मामले में जहां लड़कों को वधू पसंद और नापसंद करने का अधिकार दिया जाता है वहीं लड़कियों को बर के साथ व्यवस्थित होने के लिए कहा जाता है हालांकि शिक्षा और जागरूकता बढ़ने के साथ लड़कियों को भी इस मामले में काफी आजादी मिल रही है लेकिन इसे अभी भी एक अपवाद के रूप में ही स्वीकार किया जा सकता है।

विवाह की संभावना परिवार के बड़े बुजुर्ग तय करते हैं जिसमें पुरुष वर्चस्व सबसे ज्यादा होता है। सारे नियम पुरुष प्रधान समाज और पितृसत्ता के अंतर्गत तय किए जाते हैं इसमें स्त्रियों का कोई विशेष भूमिका नहीं होती है।१७ युवक और युवतियों पर अपने अभिभावकों के आज्ञा पालन का नैतिक दबाव तो बराबर होता है लेकिन युवतियों पर नैतिक दबाव यहां से अधिक बढ़ जाता है जब बिटिया एक पराया धन है ऐसी एक सामाजिक मान्यता है।१८ पिता अपनी बेटी को पराया धन मानकर उसका संरक्षण करता है और विवाह उपरांत उसे उसके पति की अमानत समझकर उसे हस्तांतरित करता है। यह प्रथा वास्तव में एक नारी की गरिमा के अनुकूल नहीं है किसी भी जीवित प्राणी को धन से तुलना करना नाजायज है। ऊंचे कुल खानदान और परिवार की मान मर्यादा के लिए अपनी निजी इच्छाओं को त्याग करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं क्योंकि उनके द्वारा अपने मन से किसी से प्रेम और विवाह की इच्छा जाहिर करने से घर में बड़े बुजुर्गों के सम्मान को बहुत चोट पहुंचती है। युवक और युवतियों के द्वारा स्वेच्छा से विवाह करने के अधिकार और स्वतंत्रता तथा परिवार में बड़े बुजुर्गों की प्रतिष्ठा के मध्य अंदर विरोध नहीं होना चाहिए।

5. पर्दा प्रथा में स्त्रियों की पराधीनता

पर्दा प्रथा को स्त्रियों पर एकतरफा ही थोप दिया गया है जबकि पुरुषों को पर्दा प्रथा के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। स्त्रियों के लिए पर्दा जितना जरूरी है पुरुषों के लिए पर्दा उतना जरूरी नहीं है ऐसी सामाजिक मान्यता है।

6. समाज में गालियों का वीभत्स प्रयोग में स्त्रियों की पराधीनता के लक्षण

समाज में गालियों का प्रयोग बहुत ही वीभत्स और व्यापक रूप में पाया जाता है।१९ जितनी भी गालियां होती हैं उनमें से ज्यादा से ज्यादा स्त्रियों को ही अपमानित करने का प्रयत्न किया जाता है। गालियां स्त्रियों की पराधीनता को सूचित करती हैं। जब दो पुरुष आपस में झगड़ा करते हैं तो उनकी गालियां स्त्रियों के ऊपर ही जाकर पड़ती है चाहे उस झगड़े में स्त्रियों का कोई दोष ना हो। गालियों

eISSN 2581-8996

[Date]

THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)

A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL

Vol. 3, Issue 02, July 2020

में अश्लील शब्दों का प्रयोग स्त्रियों को संदर्भित करते हुए ही अधिकतर दिए जाते हैं। ऐसी प्रथाओं का त्याग और विरोध करना चाहिए जो कि स्त्रियों के लिए बहुत ही अपमानजनक है।२०

7. बलात्कार जैसी घटनाओं में नारी पराधीनता

जब किसी स्त्री के साथ बलात्कार होता है तो उसका जीवन बर्बाद होता है। इस बरबादी के लिए दो बातें उत्तरदाई हैं। एक अपराधी जिसने स्त्री के साथ बलात्कार किया। दूसरा सामाजिक सोच जिसकी वजह से बलात्कार इतनी अत्यधिक गंभीर घटना बनी कि पीड़िता को जीने लायक नहीं छोड़ती। अपराधी ने महिला के साथ अपराध किए यह सब को दिखाई देता है, लेकिन समाज जो अन्याय उस पीड़ित लड़की के साथ करता है उसको बहुत कम लोग देख पाते हैं। बलात्कार की घटना में लड़की का कोई दोष नहीं होता है फिर भी समाज में यह घटना होने के बाद उसको घृणा के दृष्टिकोण से देखा जाता है। यह घृणा सहानुभूति में छिपाई जाती है लेकिन भेद तब खुल जाता है जब समाज में उस लड़की को इज्जत नहीं मिलती है, उससे कोई विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता और उसको बहुत से सामाजिक समारोहों में कोई तवज्जो नहीं दिया जाता। अगर पुरुषों के साथ यही जबरदस्ती हो जाए तो शायद पुरुष प्रधान समाज उसके साथ ऐसा नहीं करेगा। कभी–कभी ऐसा भी होता है कि वे पीड़ित महिला या लड़की को उसके घर तक के सदस्य स्वीकार करने से मना कर देते हैं तब यह और ही भयंकर हो जाता है।

अगर रेप पीड़िता को उसके घर वाले स्वीकार भी कर लेते हैं तो रेप पीड़िता के परिवार की इज्जत समाज में और रिश्तेदारों में पर गिर जाती है। इस मामले में औरतें भी स्वयं पीड़ित औरतों की दुश्मन हो जाती है। ताने सुना करके पीड़िता को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देती हैं। बलात्कार के बाद कोई लड़की तभी आत्महत्या करती है जब समाज में उसे पहले जैसा सम्मान के साथ स्वीकार करने के कोई लिए तैयार नहीं होता है। समाज अपराध को अपराध की तरह नहीं देखता बल्कि इसे मान प्रतिष्ठा के साथ जोड़ करके इसको और भी अधिक गंभीर बना देता है।

मेरा ऐसा मानना है कि बलात्कार गंभीर अपराध है परंतु इतना भी गंभीर नहीं की पीड़िता को समाज की एकतरफा और भेदभाव पूर्ण नकारात्मक सोच के कारण आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़े और वह पुनः सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त न कर सके।

अपराधी को कठोर दंड देने के साथ ही समाज को अपनी नकारात्मक धारणा को भी बदलना होगा। अगर समाज अपनी यह सोच बदल ले तो रेप पीड़िता को न केवल न्याय मिलेगा बल्कि उसको समाज में जीवित रहने की इच्छा भी बढ़ेगी। एक सामाजिक सोच की वजह से उसके जीवन की डगर नहीं छीन लेनी चाहिए। नारी के प्रति इस प्रकार के अन्याय के पीछे स्त्रियों के कौमार्य और सतीत्व की सुरक्षा जैसी धारणा की प्रमुख भूमिका है जिसके अनुसार स्त्रियों का कौमार्य अथवा सतीत्व उनका अपना नहीं बल्कि उनके पति या संभावित पति की अमानत होती जिसकी सुरक्षा इतनी जरूरी

eISSN 2581-8996

[Date]

THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)

A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL

Vol. 3, Issue 02, July 2020

होती है कि अगर इसकी सुरक्षा ना हो पाए तो स्त्रियों को इसके लिए अपना आत्म बलिदान कर देना चाहिए। बलात्कार जैसे मामलों में इसे सती प्रथा का एक रूप कहा जा सकता है जिसमें स्त्रियों को प्रताड़ना सहना पड़ता है या फिर उन्हें समाज की पुरुषवादी मानसिकता की वजह से आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़ता है।

8. राजनीतिक सहभागिता के स्तर पर स्त्रियों की पराधीनता

प्रथम लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या का 4.4 जो अब 17वीं लोकसभा में 14þ हो गई है। मौजूदा लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 64 है।२१ अभी यह प्रतिशत महिला आरक्षण के 33þ से बहुत कम है। देश भर में राज्यों की विधानसभाओं में महिला केवल 7þ है।२२ इस समय देश भर में कुल पंचायतों के लगभग 28 लाख 10 हज़ार प्रतिनिधि होते हैं जिनमें से 36.87þ महिलाएँ हैं जो कि संसद और विधानसभाओं की तुलना ज्यादा बेहतर स्थिति है। राजनीतिक सहभागिता में महिलाओं का यह घाटा हुआ प्रतिशत यह दर्शाता है कि महिलाएं अभी भी लैंगिक भेदभाव के शिकार हैं। पुरुष प्रधान समाज में महिला की राजनीतिक सहभागिता की विभिन्न बाधाएं हैं। जिन महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित हो पाई है उनकी राजनीतिक निर्णयों पर पुरुष वर्चस्व दिखाई देता है।

महिलाओं की राजनीतिक भूमिका के पीछे पुरुषों की भूमिका महत्वपूर्ण दिखाई देती है। किसी महिला द्वारा अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए उसे पुरुष (पिता,पति,भाई) का निर्देश मानना पड़ता है। अगर पढ़ी–लिखी और जागरूक महिलाओं को छोड़ दिया जाए जो कि अपवाद स्वरूप है, तो कम जागरूक महिलाओं के राजनीतिक मत पर पुरुष का इस तरह वर्चस्व हो जाता है कि महिला का वोट उसके पुरुष संबंधियों के वोट में अंतर करना बहुत मुश्किल है। साधारण शब्दों में कहें तो महिला का वोट पुरुष के वोटों का दोहराव हो जाता है। यही स्थिति चुनाव में राजनीतिक उम्मीदवारी के समय दिखती है जब कोई महिला किसी विधानसभा लोकसभा अथवा पंचायत या नगर निकाय के चुनाव में राजनीतिक उम्मीदवारी दाखिल करती है या चुनाव में जीत दर्ज करती है तो पुरुष वास्तविक प्रतिनिधि बन जाता है जबकि महिला कानूनी औपचारिक अथवा नाम मात्र की प्रतिनिधि साबित होती है। यह भारतीय लोकतंत्र की एक बड़ी चुनौती है जब महिला उम्मीदवार अथवा प्रतिनिधि नाम मात्र की और पुरुष बिना कानूनी उम्मीदवारी या प्रतिनिधि के ही वास्तविक निर्णय लेने वाला बन जाता है। यहां पर संवैधानिक ढांचा फेल हो जाता।

9. धर्म और आध्यात्मिकता के स्तर पर स्त्रियों की पराधीनता

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 3, Issue 02, July 2020

आध्यात्मिक दृष्टिकोण और धार्मिक मान्यता में भी स्त्री को पुरुष से कमतर माना गया है। चार पुरुषार्थ पुरुषों से संबंधित है। धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष सभी पुरुषार्थ में स्त्रियों के साथ भेदभाव किया गया है। जैन धर्म की मान्यता के अनुसार स्त्रियों को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। ईश्वर को परमपिता परमेश्वर बताया गया और इसे परम पुरुष की संज्ञा दी गई। ब्रह्म को परम पुरुष और प्रकृति और जगत को स्त्री स्वरूप माया बताया गया। आध्यात्मिक मार्ग पर पुरुष की सबसे बड़ी बाधा स्त्री को बताया गया और इसके निरोध के लिए ब्रम्हचर्य की धारणा विकसित की गई। आत्मा को स्त्री स्वरूप और परमात्मा को पुरुष बताया गया है।

स्त्री–पुरुष के वैवाहिक अथवा दाम्पत्य और प्रेम संबंधों को आत्मा–परमात्मा के मिलन के आध्यात्मिक रहस्य से जोड़ दिया गया है। जिस प्रकार बिटिया अपने ही घर मायके में पराए धन के रूप में रहती है और उसे एक दिन अपने पति के घर जाना होता है ठीक इसी प्रकार जीवात्मा इस शरीर में जो उसका अपना घर अथवा मायका होता है, में रहती है और जिसे एक दिन अपने पति पर्मेसेवर के घर जाना होता है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध में उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान समय में भारत में एक शुद्ध राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के बावजूद सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाई है। भारत में शुद्ध राजनीतिक लोकतंत्र के अंतर्गत महिलाओं को पुरुषों के समान है राजनीतिक कानूनी नागरिक और मूल अधिकार प्राप्त हैं परंतु इसके बावजूद सामाजिक रुप से महिलाएं पराधीन हैं। लैंगिक भेदभाव के स्तर पर ऐसी बाद आए हैं जिनसे महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं हो पा रहा है।

समाधान :–नारी पराधीनता से मुक्ति

लोकतंत्र बिना लिंग भेद के सभी स्त्री पुरुषों को सामान गरिमा का पात्र मानता है। पुरुष और स्त्री के परस्पर संबंध क्रमशः प्रभुत्व और पराधीन जैसे कदापि नहीं होना चाहिए। परिवार और समाज की संरचना पर पुनर्निर्माण बल देते हुए आनुपातिक समता आधारित व्यवस्था की संरचना करनी होगी जो लोकतंत्र के आदर्शों के स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय और सहिष्णुता के अनुकूल हो। समाज के कुछ परंपरागत मान्यताएं वर्तमान लोकतंत्र में अप्रासंगिक हो चुकी हैं। यह सामाजिक परंपराएं उस समय की हैं जब लोकतांत्रिक व्यवस्था का विकास नहीं हो पाया था, इसलिए आज लोकतंत्र के संरक्षण और विकास और नारी की गरिमा को ध्यान में रखते हुए पुरानी रूढ़िवादी सामाजिक ढांचे और विचारों में परिवर्तन लाना अपरिहार्य होगा। भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के बरसों बीतने के पश्चात लैंगिक और सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए सामाजिक रूप से लोकतंत्र की स्थापना का प्रयत्न करना होगा।

eISSN 2581-8996

[Date]

THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)

A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL

Vol. 3, Issue 02, July 2020

संदर्भ ग्रंथ सूची

- {१२५३५४५५५७} – ओम प्रकाश गाबा, राजनीति विज्ञान विश्वकोश, मयूर पेपरबैक्स तृतीय प्रकाशन 2008,पेज नंबर,263,265
- {६} भारत में नारीवाद, ले(ा बीबीसी
- {८ और१४} डॉक्टर पुखराज जैन एवं डॉ बी एल फड़िया, भारतीय शासन एवं राजनीतिय्साहित्य भवन पब्लिकेशन, 2011 क्रमश पेज़ नं 50 और 50
- {६} भारतीय दण्ड संहिता
- {१०} विश्व आर्थिक मंच रिपोर्ट 2021, लैंगिक सूचकांक अंतराल
- {११} विनीत तोमर,देवियों की जीवन को कर रहे तालीम से रोशन लेखय,जागरण न्यूज़ अंक,9 जून 2014
- {१२} बदलते परिवेश में अंतरजातीय विवाह, जागरण न्यूज़ अंक 4 जुलाई 2011
- {१3)9} भारत वर्ष न्यूज़, 27 दिसंबर 2020
- {१५} आचार्य निर्भय सागर वक्तव्य, नई दुनि;ा डॉट कामॅ, 30 जनवरी 2020
- {१६} ओम प्रकाश गाबा, राजनीति विचारक विश्वकोश, मयूर पेपरबैक्स तृतीय प्रकाशन 2018,पेज नंबर 223
- {१७} पितृसत्ता की परतें,जनसत्ता अख़बार अंक 8 मार्च 2021
- {१८} डॉ लक्षिता भार्गव, बिटिया नहीं है पराई लेख, पत्रिका न्यूज़ अंक 4 अगस्त 2016
- {१६} सुशीला सिंह, महिलाओं पर क्यों केंद्रित होती हैं गालियां, बीबीसी न्यूज़ अंक 18 दिसंबर 2020
- {२०} भारतीय संविधान अनुच्छेद 51क(5), मौलिक कर्तव्य, एम लक्ष्मीकांत, भारतीय राजव्यवस्था, मैक्ग्रा हिल प्रकाशन,पंचम मुद्रण 2017
- {२१} नवभारत टाइम्स) 24 मई 2019
- {२२} प्रताप बर्धन, ग्रामर डॉट कॉम, 2018 रिपोर्ट
- {२३} बीबीसी, 27 अगस्त 2009